न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ...

पीठासीन अधिकारी-आकाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
385 / 2022	27.10.2022	30.01.2024

उनवान

श्रीमती परमेश्वरी देवी पत्नी लोकेश लखारा उम्र वयस्क निवासी संजय कॉलोनी, भीलवाड़ा, तह0 एवं जिला भीलवाडा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम

रमेश पिता नानूराम रेगर उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तहसील एव जिला, भीलवाडा।
राजी पत्नी नानूराम रेगर उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
बालू सिंह पिता मान सिंह उम्र वयस्क निवासी रीछड़ा तह0 एवं जिला भीलवाडा।
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा (राज0)

—विपक्षीगण

स्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी कैलाश राव
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र र्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रीछड़ा प0ह0 रीछड़ा भू—अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा जमाबन्दी संवत 2069—2073 के खाता संख्या 195 की अभिलिखित आराजियात 1028, कुल किता 02 कुल रकबा 0.6829 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की र अप्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात च कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी ारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये स तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 03 के समन बाद तामिल प्राप्त होने ी नियत पेशी पर आदिनांक को अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 03 के द्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। ल प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर ल प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात पत्थरगढी कराना चाहते है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया त्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

Ahad
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा रीछड़ा प0ह0 रीछड़ा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2069–2073 के खाता संख्या 195 की अभिलिखित आराजियात 1028, 1029 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6829 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी एक रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में जमा करवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आल्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा